

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2  
संख्या-24/2018/एस-2-766/दस-2018-88क(13)2017टी0सी0  
लखनऊ :: दिनांक:: 12 अप्रैल,2018

**कार्यालय-आदेश**

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त श्री शिवाकान्त शुक्ला, वित्त नियंत्रक, डा0 शकुन्तला मिश्रा 30प्र0 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए विशेष सचिव, विधान सभा सचिवालय, 30प्र0 शासन के पद पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- इस आदेश के निर्गत होन के फलस्वरूप डा0 गोविन्द जी शुक्ला, जिन्हें कार्यालय आदेश संख्या-20/2018-एस-2-478/दस-2018-88क(13)/2017टी0सी0, दिनांक 21-3-2018 द्वारा संयुक्त सचिव/वित्त नियंत्रक, विधान सभा सचिवालय, 30प्र0 लखनऊ के पद पर स्थानान्तरित किया गया था, अपने पद निदेशक वित्त (वर्टिकल हेड) 30प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ पर यथावत बने रहेंगे।

3- अग्रिम आदेशों तक श्री टुन्नी राम यादव, वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ अपने पद के साथ-साथ वित्त नियंत्रक, डा0 शकुन्तला मिश्रा 30प्र0 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का भी कार्यभार देखेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन व भत्ते देय नहीं होंगे।

4- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अजय कुमार शुक्ला  
सचिव।

**संख्या-24/2018/ एस-2-766(1)/दस-2018-88क(1)/2017टी0सी0 तददिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, विधान सभा/नगर विकास/उच्च शिक्षा/विकलांग कल्याण विभाग, 30प्र0शासन।
- 2- कुलपति/कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा 30प्र0 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 3- कुलपति/कुल सचिव, ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 4- निदेशक, (वर्टिकल हेड) 30प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
- 5- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 8- मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा सचिवालय, 30प्र0 शासन।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 10- संबंधित अधिकारी।  
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( हरिश्चन्द्र )

उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

3- कार्यालय आदेश संख्या-20/2018-एस-2-478/दस-2018-88क(13)/2017टी0सी0, दिनांक 21-3-2018 द्वारा डा0 गोविन्द जी शुक्ला, निदेशक वित्त (वर्टिकल हेड) उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ को संयुक्त सचिव/वित्त नियंत्रक, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।